तीन नये भारतीय कानूनों के सम्बन्ध में कोतवाली भिनगा में जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

श्रावस्ती 1 जुलाई (भि0टा0सं0)। आज से सम्पूर्ण भारत में लागू होने वाले तीन स्वदेशी कानुन 1–भारतीय न्याय संहित 2024, 2–नागरिक सुरक्षा संहिता 2024, 3–भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2024 के सम्बन्ध में आम जनमानस को जागरूक करने एवं उससे होने वाले लाभ की जानकारी देने हेतु थाना कोतवाली भिनगा में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें उक्त तीनों नये भारतीय कानूनों के सम्बन्ध में आम जनमानस को जागरूक किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि हम सभी के लिए बड़े ही हर्ष की बात है कि भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। इसका मूल आशय यह है कि अंग्रेजी शासन काल के प्रतीक को खत्म करके अपनी एक न्याय संहिता बनायी गई है और इसकी जो आत्मा है वह भारत में बसती है। इसमें मूल रूप से जो धाराएं थी उन्हें सरल किया गया है, जो आम जनता के लिए उपयोगी साबित होंगे। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निदेश भी जारी किये गये है तथा पुलिस विभाग को पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक कर नये कानून के बारे में सजग किया जा सके।